

कार्यालय, आयकर निवेशक (छोट)
छठी मंजिल, पीरामल थैम्बर्स, लालबाग मुंबई ४०००१२

आदेश संख्या : आ.नि.(छ)/मु.न./८०-८०/८०-८०/८०७/२००८-०९

निर्धारिती का नाम और प्रता

12A रजिस्ट्रेशन. सं.
आयेकर की तारीख
स्था.क्र.सं
आयेकर की तारीख

ROTARY CLUB OF BOMBAY QUEENS
NECKLACE CHARITABLE TRUST
65/C, MITTAL TOWER,
NARIMAN POINT,
MUMBAI 400 021
TR/25024 dated 13/03/1986
12/02/2008
AAA TR 4200 K
11/03/2008

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (०१/०४/२००८ से ३१/०३/२०११ तक है)
(प्रारंभिक / नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अधिनोक्त /आयेकर के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं हस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त धर्म ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५) की शर्तों को पूरा किया है। निम्नांकित किसी शर्त की अवधारणाएँ कभी या उक्तोंने की विविधता में कानून ऐं अनुसार ये सुनियाहे बाता कर्तव्य जब्त कर जी जायेगी। तबक्का को ८०-जी की यह छोट नियन्त्रण शर्तों पर ही रहती है।

- i) संसद्या अपनी लेखा पुस्तके नियमित संप से बनाए रखेगी और इनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (S) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी।
- ii) व्यावसायों की दी जाने वाली रक्की रक्की पर हस आदेश की संसद्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उक्त पर यह संप से उपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कंव तक है।
- iii) न्यास /संसद्या के विलेव (deed)में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा और हसकी सुधना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी।
- iv) यदि संसद्या धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२ए(५), धारा १२ए(७)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत हो जाया किसी व्यवसायिक गतिविधि द्वाने ऐं निए संसद्या को अलग से लेखा पुस्तके रखनी होगी। साथ ही ऐसी गतिविधि शुल्क ठोने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सुधना इस कार्यालय को देनी होगी।
- v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त बानारासि का किसी व्यवसाय के सुधना प्रत्यक्ष संप से उपयोग नहीं किया जायेगा।
- vi) संसद्या व्यवधातों को प्राप्तांगपत्र जारी करते समय उपर वर्णित प्राप्तिकर्त्तवा का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्राप्तांगपत्र का कुलपद्योग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो।
- vii) संसद्या यह चुनिशिवत करेगी कि किसी और न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या शैर-जाम-कंपनी द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जायेगी।
- viii) संसद्या यह चुनिशिवत करेगी कि किसी भी सुरत में संसद्या या उसकी नियि का उपयोग धारा ८०-जी (७)(xii) के अधीन निविष्ट किसी विशेष धर्म या जाति या जन्मव्यवहार के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा।
- ix) संसद्या को न्यास या सोसायटी या शैर-जाम-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए और बताए गए दैशों को पूरा करने के लिए न्यास या संसद्या के किया कंलाप कर्त्तों किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना हो रही है।
- x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से कंपंत नहीं किया जाया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किस उद्देश्यों के लिए प्रयोग कियों जायेगा तब संवेद्य में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा।
- xi) धार्मिक व्यवसाय कुनै भाव ये ५% से आधिक नहीं होगा।

आयकर अधिनियम १९६९, की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संसद्या की आय को अपने आप सूट नहीं देता



प्रतिलिपि - १.) आयेकर २.) गार्ड कार्ड

—१०—
(आद.के.सिन्हा)
आयकर निवेशक (छोट), मुंबई.

मनु
(मनुदल वैठा)
आयकर अधिकारी (तकनीकी), मंवर्ष.